

कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद

(वित्त कोषांग)

पत्रांक:-52/को0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद।

सेवा में,

समीक्षा निदेश एवं व्ययन पदाधिकारी
औरंगाबाद

औरंगाबाद/दिनांक:-19/05/2018

विषय:- दिनांक-26.05.2018 को 10:30 पुर्वाह्न में जिला योजना भवन, औरंगाबाद के
सभागार में आयोजित बैठक में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-6071/वि0 दिनांक-31.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन की
समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अभी भी अनेक विभागीय खातों में अव्यवहृत राशि पड़ी हुई है
तथा चालु खाता रखा गया है। इस संबंध में अनेको बार प्रतिवेदन की मांग की गयी परन्तु विहित
प्रपत्र में प्रतिवेदन अप्राप्त है। कुछ कार्यालयों से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, वह स्पष्ट नहीं हैं तथा
भ्रामक हैं। अव्यवहृत राशि रखने एवं खाता चालू रहने का स्पष्ट कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

विभागीय खातों में जमा राशि एवं खातों की समीक्षा हेतु दिनांक-26.05.2018 को
10:30 पुर्वाह्न में जिला योजना भवन, औरंगाबाद में बैठक आहूत की गयी है।

अतः विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को
ससमय वांछित प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक अग्रिम
प्रति दिनांक-24.05.2018 तक कौषागार वित्त कोषांग में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद।

पत्रांक 52/को0, दिनांक - 19.05.2018
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी औरंगाबाद
को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया इस पत्र
को अपने वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित
जान।

19/05/18
कौषागार पदाधिकारी
औरंगाबाद

कार्यालय का नाम.....

डी0 डी0 ओ0 कोड

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	31.03.2017 तक संचित राशि	वित्तिय वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि	कुल राशि	2017-18 में खर्च राशि	पी0 एल0/पी0डी0 एवं समेकित निधि में जमा की राशि	विभाग में वापस की गई राशि	अवशेष राशि	खाता चालू रखने का कारण	अव्यवहृत राशि रखने का कारण	अभियुक्ति
1												
2												
3												
-												
-												
-												
-												
योग												

कुल अव्यवहृत राशि

कुल चालू खातों की संख्या

कुल बंद खातों की संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी कार्यालय में संधारित अभिलेख एवं बैंक विवरणी से मिलान कर ली गई है एवं सही है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर